यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आशीष पाण्डेय, व.ले.प. द्वारा दिनांक 13.10.2020 से 22.10.2020 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.07.2019 से 23.07.2019 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** कर-निर्धारण एवं राजस्व संग्रह; राजपुर रोड, पटेल नगर, प्रेम नगर, GMS रोड एवं इंद्रानगर।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	98722.88
2018-19	12182.48
2019-20	15701.06

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	**-**	**-**	**1434.35**	**1398.19**	**-**	**36.16**
2018-19	**-**	**-**	**1587.26**	**1524.99**	**-**	**62.27**
2019-20	**-**	**-**	**391.89**	**377.65**	**-**	**14.24**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य(+)₹	बचत(-)₹
लागू नही।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त राज्य कर**>** अपर आयुक्त राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर **>**सहायक आयुक्त राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01, राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः 07/2019 विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः 03/2020 (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर-01 कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप रु 3.31 करोड़ की राजस्व क्षति।

प्रस्तर:02 संविदाकार को मजदूरी का अधिक लाभ दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 12.31 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर :01 व्यापारी को अनुचित लाभ दिया जाना ₹12.44 लाख ।

प्रस्तर-02 कर का न्यूनारोपण ₹ 4.57 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग - II अ

प्रस्तर-01 कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप रु 3.31 करोड़ की राजस्व क्षति।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध में कर देयता 13.5% निर्धारित की गई है तथा दिनांक 04.10.2016 से कर की दर 14.5% कर दी गयी थी।

अनुसूची-II(ख) के क्रम संख्या 78 के अनुसार अयस्क धातुए एवं खनिज, जिसमे गौड़ खनिज सम्मिलित नही है, पर कर देयता 5% की दर से निर्धारित की गई है|उत्तराखंड सरकार का गज़ट संख्या 844/vii-1/2015/68-ख/2015, देहरादून दिनांक 31.07.2015 के अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2015 को अधिनियमित किया गया है। वर्तमान मे खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 423(अ) दिनांक 10.02.2015 द्वारा 31 खनिजो जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अंतर्गत थे, को गौड़ खनिज की श्रेणी मे घोषित कर दिया गया है। उक्त तिथि से सोप स्टोन की बिक्री पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है।

उत्तराखंड प्रवेश कर अधिनियम,2008 की धारा 4(1) के अधीन प्रदेश से आयातित चीनी पर माल के मूल्य का 2.5% (दिनांक 14.08.2014 से 13.07.2015) एव उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 604/2015/03(120)/XXVII(8)/2007 दिनांक 14.07.2015 द्वारा 5% की गयी थी।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 20 जनवरी 2015 के अनुसार schedule II B की entry no. 06 में सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियों, मशरूम तथा फल जिसमे फलो का जेम, जेली, फलो का स्केवश, पेस्ट , फलो का पेय, फलो का रस और आचार सम्मिलित है, परंतु जिसमे सभी प्रकार के सास ,पोटैटो चिप्स,बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स सम्मिलित नहीं है।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(ख) के क्रम संख्या 58 के अनुसार Imitation jewellery के विक्रय पर 5% की दर से कर देयता निर्धारित की गयी था।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -01, राज्य कर, देहरादून के कर निर्धारण पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणो में कम दर से कर आरोपित किया गया था।

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम/ टिन नंबर/ कर निर्धारण वर्ष	स्वीकृत बिक्री / वस्तु	आरोपित किया गया कर	आरोपणीय कर	कम आरोपित किया गया कर
1-	सर्वश्री असवाल एसोसीएट्स 05006961036 (2015-16)	₹34272909 सोप स्टोन	₹1713646 (5%)	₹4626843 (34272909*13.5%)	₹2913197 (₹4626843-₹1713646
2-	सर्वश्री असवाल एसोसीएट्स 05006961036 (2016-17) एकपक्षीय आदेश	₹20711312 सोप स्टोन	₹1035565 (5%)	₹2796027 (20711312*13.5%)	₹1760462 (₹2796027-₹1035565)
3-	सर्वश्री बायोलॉजिकल ई. लि. 05006616686 (2015-16)	₹15349650 चीनी	₹306993 (2%)	₹620596 (5875450*2.5% +9474200*3%)	₹313603 (₹620596-₹306993)
4-	सर्वश्री पोलारिस मार्केटिंग 05000386376 (2016-17)	₹35156092 पोटैटो चिप्स	₹1757805 (5%)	₹4746072 (35156092*13.5%)	₹2988267 (₹4746072-₹1757805)
5-	सर्वश्री फेब इंडिया ओवर सीज़ प्रा. लि. 05006037984 (2015-16)	₹1852719 Imitation Jewellery	₹18527 (1%)	₹92636 (1852719*5%)	₹74109 (₹92636-₹18527)
6-	सर्वश्री हरसोरिया हर्बल केयर 05006492138 (2015-16)	₹294726683 एलोवेरा जूस,जेल एव पाउडर	₹14736334 (5%)	₹39788102 (294726683*13.5%)	₹25051768 (₹39788102-₹14736334)
				योग	₹3,31,01,406/-

इस प्रकार उपरोक्त व्यापारियों पर कुल कर ₹3.31 करोड़ आरोपणीय है। चूंकि यह व्यापारी का स्वीकृत कर है इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने जाचोपरांत कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया।

अतः कम दर से कर आरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप रु 3.31 करोड़ की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

<u>भाग - दो 'अ'</u>

प्रस्तर:02 संविदाकार को मजदूरी का अधिक लाभ दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 12.31 लाख।

उत्तराखंड सरकार के वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 936/2013/14 (120)/XXVI / (8)/2006 देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2013 के अनुसार In case where the contractor has not maintained proper accounts or if he has maintained the accounts but the amount actually incurred towards charges for labour and services mentioned in sub rule (2) and profit relating to supply and of labour and services or sale price of goods involved in the execution of works contract in not as certainable, the sale price of goods involved in the execution of works contract shall be determined by deducting 20 percent the amount for all others works contract which are not covered by serial no 1 to 21 under the specified in column 3.

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-1,राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री infinite computer solution india, टिन 05009961731 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पार्ट्स तथा सॉफ्टवेयर की बिक्री का कार्य संविदाकर के रूप में करते हुए मजदूरी एव खर्चे पर ₹738,88,619 दर्शाते हुए 30% का लाभ लिया गया था। जबकि उक्त आदेशानुसार कम्प्युटर से संबंधी कार्य क्रम संख्या 01 से 21 के अंतर्गत न आने के कारण 20% का लाभ देय था। संविदाकार को वर्ष के दौरान ₹24,62,95,396/- का भुगतान प्राप्त हुआ है जिस पर मजदूरी एव खर्च पर र 49259079 (24625396*20%) का लाभ देते हुए ₹19,70,36,317/- पर कर आरोपित किया जाना था परंतु ₹17,24,06,777 पर कर आरोपित किया गया था। इस प्रकार ₹2,46,29,540/- पर 5% की दर से ₹12,31,477/- कर आरोपित किया जाना है जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। अतः संविदाकार को मजदूरी का अधिक लाभ दिये जाने के कारण से ₹12,31,477/- का अधिक रिफ़ंड हो गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा पत्रावली की जांच कर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही कर सूचित किए जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः संविदाकार को मजदूरी का अधिक लाभ दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹12.31 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो 'ब'</u>

प्रस्तर :01 व्यापारी को अनुचित लाभ दिया जाना ₹12.44 लाख ।

उत्तराखंड मूल्य वर्षित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिए पंजीकृत व्योहारी हकदार होगा ,कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसा की इस धारा में विनिर्दिष्ट है ,किए गए क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्योहारी द्वारा विक्रेता व्योहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी जैसी कि विहित की जाए।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-1,राज्य कर देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री बद्री विशाल एसो॰ टिन 0501019065 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में ₹34,74,644/- की आईटीसी का दावा किया गया था जिसमे ऑनलाइन परचेस मिसमैच की जांच पर संगत वर्ष में र 12,44,041/- असत्यपित पायी गयी थी| जिसका लाभ सत्यापन तक स्थगित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में व्यापारी द्वारा जिन विक्रेता व्यापारी से खरीद की गयी थी उस संबंध में संबन्धित खरीद का लेजर तथा उनके द्वारा किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । चूकि विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने विक्रय में संबन्धित अभिलेखो में व्यापारी को विक्रय किया जाना घोषित नहीं किया गया है इसलिए सत्यापन तक असत्यपित ITC का लाभ न देते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर असत्यपित पायी गयी आईटीसी से संबन्धित मांग सत्यापन तक स्थगित किया गया था। किन्तु आईटीसी के सत्यापन से संबन्धित कोई भी पत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्रेषित नहीं किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹3598870 का कर आरोपित करते हुए ₹1253016/- की मांग सृजित की गयी थी जिसमे से सृजित मांग आईटीसी सत्यापित न पाये जाने के कारण ₹1244041/- की मांग स्थगित कर दी गयी थी जिसकी वसूली सत्यापन तक स्थगित रखते हुए ₹8975/- की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया था। कार्यालय के आर-3 रजिस्टर की जांच में पाया गया की असत्यपित आईटीसी ₹12,44,041/- की प्रविष्टि नहीं की गयी है।जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के किन प्रावधानों के अंतर्गत मांग स्थगित की गयी है का उल्लेख कर निर्धारण आदेश में नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा पत्रावली की जांच कर आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करते हुए सूचित करने का आश्वासन दिया है।

अतः व्यापारी को अनुचित लाभ दिया जाना ₹12.44 लाख दिये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर-02 कर का न्यूनारोपण ₹ 4.57 लाख।

उत्तराखंड शासन के अधिसूचना सं0 133/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/ 2001 दिनांक 11 फरवरी 2016 के अनुसार अनुसूची II (ख) के क्रमांक 137 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर ईटे (ब्रिक्स) पर 5 प्रतिशत या र 250 प्रति हजार जो भी अधिक हो देय है।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-1 राज्य कर देहरादून के अभिलेखो की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे ईट पर कर निर्धारण माननीय आयुक्त कर की विज्ञप्ति संख्या 2185 दिनांक 21.08.2014 द्वारा नदी की रेत, पत्थर, क्रेशर की डस्ट, रोड़ी, ईट (अव्वल श्रेणी), ईट (अन्य श्रेणी) आदि की उचित कीमत (fair price) के आधार पर की गयी थी। जबकि ईट के संबंध मे कर निर्धारण उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के अनुसार किया जाना था। जिसके अनुसार कर निम्नानुसार देय था।

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व टिन सं0	कर निर्धारण आदेश के अनुसार कर			उपरोक्त शासनादेश के अनुसार देय कर		
		कर निर्धारण वर्ष	ईट की बिक्री	निर्धारित कर	कुल ईट की संख्या	निर्धारित कर ₹ 250 प्रति हजार	अंतर की धनराशि
01	सर्वश्री मेहरवाल ट्रेडर्स टिन 05012173525	2016-17	91,29,490	4,56,475	3415 हजार	8,53,750	3,97,275
02	सर्वश्री मेहरवाल इंटर प्राइजेज़ देहारादून टिन 05012173428	2016-17	76,60,824	3,83,041	1770 हजार	4,42,500	59,459
						योग	**4,56,734/-**

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 मे उपरोक्त शासनादेश के अनुसार कर निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 4,56,734 का कर कम आरोपित किया गया था जो कि व्यापारियो पर आरोपणीय था। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

मे. मेहरबान ट्रेडर्स कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे चालान सं 0040051600268014 ₹5,00,000/- का जमा वर्ष एवं दिनांक अंकित नही है। चालान संख्या 0040101600312767 ₹114900 चालान वर्ष 2015-16 का है जिसका लाभ वर्ष 2016-17 से लिया गया है ।

सर्व श्री मेहरबान इंटरप्राइजेज़ कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से चालान संख्या 0040041600258554 धनराशि ₹ 1,00,000/- वर्ष 2015-16 का है ।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि पत्रावली की जांच करते हुए आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करते हुए सूचित किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के सभी रूप पत्र संलग्न है जिनसे स्पष्ट है कि उक्त चालान का लाभ वर्ष 2015-16 मे नही लिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2015-16 के रूप पत्र से यह सुनिश्चित नही हो रहा है कि उपरोक्त चालानो का लाभ वर्ष 2015-16 मे नहीं लिया गया था अथवा नही । उपरोक्त दोनों व्यापारियों द्वारा जमा चालानों का कर निर्धारण के समय लाभ दिया गया है अथवा नही इसे सुनिश्चित करने के लिए दोनो व्यापारियो का वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ।

अतः ₹4,56,754/- के कर के न्यूनारोपण का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-85/2018-19	01,02	01,02	-
CT-44/2017-18	-	01,02,03	-
CT-37/2019-20	-	01,02,03	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01 राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अजय कुमार	उपायुक्त (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-01 राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/(ए.एम.जी.-IV)